5/210/380/2016

1878
14.3.2016

संख्याः 625/–33–3–2016–10 जी.आई. /2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
पंचायती राज, उ0प्र0।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 09 मार्च, 2016

विषयः–ग्राम पंचायत विकास योजना में विकास खण्ड स्तर पर कियान्वयन संबंधी निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शा0 सं0 3215/33–3–2015–10 जी.आई./2015, लखनऊ, दिनांक 11 दिसम्बर 2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से उ0प्र0 में ग्राम पंचायत विकास योजना के संचालन हेतु कियात्मक निर्देश जारी किये गए है।

इस कम में दिनांक 26.02.2016 को श्री एस0एम0 विजयानन्द, सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी संज्ञान में लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश के 75 जिलों से ग्राम पंचायत विकास योजना(जी0पी0डी0पी0) के क्रियान्वयन की प्रगति समीक्षा की गई थी। जिसमें कतिपय जनपदो द्वारा विकास खण्ड स्तर पर योजना के कियान्वयन हेतु स्पष्ट दिशा–निर्देशो की अपेक्षा की गई है।

ग्राम पंचायत विकास योजना के कियान्वयन में उक्तरूप से निर्गत शा0 से जनपद स्तर पर 'जिलास्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति' के निर्माण एवं कार्यो के सम्बंध में आदेश जारी किये गए है (पृष्ठ–1, संलग्नक–1)। इस सम्बंध में विकास खण्ड स्तर पर योजना के कियान्वयन हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि

1. विकास खण्ड स्तर पर योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु **खण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) की अध्यक्षता में 'विकास खण्ड स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति'** होगी, जोकि विकास खण्ड में ग्राम पंचायत विकास योजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण की कार्यकारी समिति होगी।(**विकास खण्ड स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति' के कार्य संलग्नक 1–क** पर वर्णित है।) समिति की बैठक का आयोजन प्रत्येक माह किया जाएगा एवं समिति में निम्न सदस्य होंगे:–

1. खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2. चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य	सदस्य
3. चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग	सदस्य
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस.	सदस्य
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6. अवर अभियंता, एम0आई0	सदस्य
7. अवर अभियंता, आर0ई0डी0	सदस्य
8. अवर अभियंता, जलनिगम	सदस्य

4961
उप निदेशक (पं0)

(एस0 एन0 सिंह)
उपनिदेशक (पंचायत)
पंचायती राज, उ0प्र0

10. सहायक विकास अधिकारी (ए0जी0)	सदस्य
11. सहायक विकास अधिकारी (कोऑपरेटिव)	सदस्य
12. सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण)	सदस्य
13. सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0)	सदस्य
14. सहायक विकास अधिकारी (महिला)	सदस्य
15. ब्लॉक ऑरगेनाइजर, पी0आर0डी0	सदस्य
16. ए0पी0ओ0– एम0जी0नरेगा	सदस्य
17. खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित दो ग्राम प्रधान	सदस्य

2. उक्त शासनादेश के पृष्ठ सं0–2 पर अंकित गतिविधि सं0–2 में '10 ग्राम पंचायतों पर 1 कलस्टर का निर्माण एवं योजना निर्माण के कियान्वयन व अनुश्रवण हेतु चार्ज ऑफिसर का चयन' में न्याय पंचायत की विद्यमान व्यवस्था को उपयोगी एवं उपयुक्त मानते हुए, कलस्टर के गठन में **'न्याय पंचायत'** को सम्मिलित किया जाता है अर्थात् **कलस्टर स्तर पर न्याय पंचायत को ही कलस्टर मानते हुए उस पर विकास खण्ड स्तरीय विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को चार्ज ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा।** इस सम्बंध में खण्ड स्तर पर अधिकारियों की उपलब्धता को देखते हुए, चार्ज ऑफिसरों को नामित करने के लिए समिति स्वतंत्र होगी।

इस प्रकार से उक्त निर्गत संशोधित आदेशों के अनुरूप जनपद, ग्राम पंचायत विकास योजना का कियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित् करें।

संलग्नक उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

पंचायती राज अनुभाग–3 625/1/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु

1.श्री एस0एम0विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2.कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3.प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4.प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5.प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6.प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
7.प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8.प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9.प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।
10.प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11.प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।

12.प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
13.प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14.प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
15.महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
16.राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।
17.निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
18.समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
19.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
20.समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
21. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
22. समस्त, सहायक विकास अधिकारी (पं0), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संलग्नक–1 क

विकासखण्ड स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति के कार्यः–

1. विकासखण्ड में ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण से संबंधित शासकीय आदेशों/प्रस्तावों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराना।

2. खण्ड स्तर पर अंतर विभागीय समन्वय को सुनिश्चित कराते हुए योजना कियान्वित कराना।

3. ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न योजनाओं विशेषतः मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के संसाधनों के अभिसरण को सुनिश्चित कराना।

4. विकास खण्ड स्तर पर गाइडलाइन के अनुरूप ग्राम पंचायतों के निर्मित क्लस्टर का सीमांकन करना।

5. ग्राम पंचायत स्तर पर वातावरण निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों तथा मीडिया योजना के मध्य समन्वयन स्थापित कराना।

6. आवश्यकता अनुरूप कार्यक्षेत्र से जुडे मुद्दों को सम्बोधित करना, समस्या का निवारण और संकट्ट प्रबंधन करना।

7. ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उनकी स्पष्ट जिम्मेदारियाँ तय करना।

8. सभी संबंधितों का क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन स्थापित करना।

9. राज्य/ जनपद के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए उपयोगी ग्राम पंचायतों के सभी सहायक आंकड़ों (Secondary Data) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

10. तकनीकी मूल्यांकन और परियोजनाओं के अनुमोदन के मध्य समय से समन्वयन सुनिश्चित करना।

11. ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया का विकासखण्ड स्तर से अनुश्रवण व मूल्यांकन करना।

12. ग्राम पंचायत विकास योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।

13. ग्राम पंचायत विकास योजना की स्थिति, उससे जुडे मुद्दों तथा सर्वोत्तम प्रयासों को जनपद स्तरीय समिति को रिपोर्ट और सुझाव प्रस्तुत करना।

संख्या: 661/33-3-2016-10 जी.आई./2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
पंचायती राज, उ0प्र0।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 2016

विषय:-ग्राम पंचायत विकास योजना में विकास खण्ड स्तर पर क्रियान्वयन संबंधी निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-625/33-3-2016-10 जी.आई./2015 दिनांक 09.03.2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास खण्ड स्तर पर योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु खण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) की अध्यक्षता में 'विकास खण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति' का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों में क्रमांक-9 पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सदस्य सचिव नामित किया जाना था जो त्रुटिवश उक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2016 में छूट गया था। अतः खण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) की अध्यक्षता में 'विकास खण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति' के गठन संबंधी उक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2016 के क्रमांक-9 पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सदस्य सचिव नामित किया जाता है।

उक्त शासनादेश संख्या-625/33-3-2016-10 जी.आई./2015 दिनांक 09.03.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करनें का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

पंचायती राज अनुभाग-3 /1/2016 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1.श्री एस0एम0विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2.कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3.प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4.प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5.प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6.प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
7.प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8.प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

9.प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।
10.प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11.प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
12.प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
13.प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14.प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0. शासन।
15.महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
16.राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।
17.निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
18.समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
19.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
20.समस्त मंडलीय उपनिदेशक(प0), उ0प्र0।
23. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
24. समस्त, सहायक विकास अधिकारी (प0), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

9.प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।
10.प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11.प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
12.प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
13.प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14.प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
15.महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
16.राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।
17.निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
18.समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
19.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
20.समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
23. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
24. समस्त, सहायक विकास अधिकारी (पं0), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
11.3.16
(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।